न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – नरेश बुनकर, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 27/2021
रजिस्ट्रेशन नं. :2021/00021

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा हाल उदयपुर

बनाम

अभियुक्त :–
1. श्री अंकुर भार्गव पुत्र श्री नवीन कुमार भार्गव विक्रेता मैसर्स श्री बेकरी एण्ड कैफे, ए–1 रिलक्स इन हॉटल के नीचे, उदयपुर रोड, बॉसवाडा (राज) स्थायी पता – 14, हिराबाग कॉलोनी, दाहोद रोड, बॉसवाडा (राज)
2. श्रीमती स्नेह भार्गव पत्नि श्री अंकुर भार्गव मालिक मैसर्स श्री बेकरी एण्ड कैफे, ए–1 रिलक्स इन हॉटल के नीचे, उदयपुर रोड, बॉसवाडा (राज) स्थायी पता – 14, हिराबाग कॉलोनी, दाहोद रोड, बॉसवाडा (राज)

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 28.07.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री अशोक कुमार गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाड़ा हाल उदयपुर के द्वारा दिनांक 15.06.2021 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 22–10–2020 को 12.30 बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जाँच हेतु **मैसर्स श्री बेकरी एण्ड कैफे, ए–1 रिलक्स इन हॉटल के नीचे, उदयपुर रोड, बॉसवाडा** पर पहुंचा, निरीक्षण करने पर पाया कि उपरोक्त विक्रेता की दुकान पर **श्री अंकुर भार्गव पुत्र श्री नवीन कुमार भार्गव** उपस्थित थे, विक्रेता को खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञप्ति /रजिस्ट्रेशन वर्ष 2020 का दिखाने को कहा, जिस पर विक्रेता द्वारा अनुज्ञप्ति /रजिस्ट्रेशन पत्र प्रस्तुत किया। निरीक्षण करने पर पाया कि उक्त विक्रेता की दुकान पर **ब्राउन ब्रेड (shree Bakery and cafe)** के 400 ग्राम वाले 16 पैकेट्स मूल ही, कम्पनी पैक, सील बन्द स्थिति में आम जनता को बिक्री हेतु पाये गये। इसमें मिसब्राण्ड, सबस्टैण्डर्ड एवं अनसेफ का शक होने पर **ब्राउन ब्रेड (shree Bakery and cafe)** के 400 ग्राम वाले 4 पैकेट मूल ही, कम्पनी पैक, सील बन्द स्थिति मे वास्ते जॉच हेतु खरीदे तथा इनकी कीमत 160 रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की।

नमूना जांच हेतु क्रय किये **ब्राउन ब्रेड (shree Bakery and cafe)** के 400 ग्राम के 4 पैकेट्स पर फार्म नं. 5ए पर वर्णित सभी जानकारी अंकित पाई गई। इन खरीदशुदा 4 पैकेट्स को खोलकर प्लास्टिक के चार साफ सुखे एवं खाली जारो में भरकर (प्रत्येक जार में एक पैकेट **ब्राउन ब्रेड (shree Bakery and cafe)** भरकर प्रत्येक जार में फार्मेलीन की 32 बुंद डालकर प्रत्येक जार

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

... पर कि हिस्सा 'ए' तलफ किया गया ——

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2021.07.30 11:10:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

का मुह ढक्कन की सहायता से कसकर एयर टाईड बन्द किया तथा प्रत्येक नमुना जार को मोटे व मजबुत कागज में लपेट कर, कागज के दोनो सिरो को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाया। चारो बोतल पर विभाग के कोड व सिरीयल नं.W–629 जिस पर विवरण आदि अंकित कर विक्रेता एवं गवाहान से हस्ताक्षर करा स्वयं ने चिपकाया। प्रत्येक नमूना जार पर अभिहित खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी बॉसवाडा की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप W-629 प्रत्येंक नमूना जार के पेंदे से शीर्ष तक गोलाई में गौंद से चिपकाकर मोटे व मजबूत धागे से बांध कर नियमानुसार सील बन्द किया। प्रत्येक सीलबन्द नमूना जार पर सम्पूर्ण विवरण अंकित कर हस्ताक्षर किये गये एवं नमुना जारों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने जाप्ते में लिया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म 5–ए की प्रतियां व फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता तथा गवाहान को पढा कर, सुना कर एवं समझा स्वीकारोक्ति स्वरूप हस्ताक्षर करवाए गए। उक्त चार भागों में से एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटकवर में सील बन्द कर सील मोहर कर जांच हेतु खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाध सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधि. बॉसवाडा के पत्रांक एफएसएसए/2020/262 दिनांक 06.11.2020 तथा खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या PH Lab/Banswara/Act/2020/204 दिनांक 01–11–2020 के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **ब्राउन ब्रेड (shree Bakery and cafe)** CONTRAVENTION OF REGULATION 2.2.2(2),(3)(4),(8) Of food Safety and Standards (Packaging & Labelling) Regulation 2011 पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(Zf)(A)(i)(a) के तहत मिसब्राण्डेड होना पाया गया है। जिस पर अभियुक्तगणो को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(II) व 52 का उल्लंघन किया जिसमे अधिनियम के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया है।

प्रकरण दिनांक 16–06–2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया। दिनांक 28.07.2021 को अभियुक्तगणो ने न्यायालय में उपस्थित होकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है। प्रकरण में आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने के कारण अन्य किसी साक्ष्य की अब आवश्यकता नहीं रहती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं आरोपी को सुनी सुनवाई के दौरान आरोपी ने प्रथम अपराध होना बताते हुए दण्ड के विषय मे ... निवेदन किया। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का भी गहनता पूर्वक अवलोकन ... एवं उस पर मनन किया। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधि. बॉसवाडा के पत्रांक एफएसएसए/2020/262 दिनांक 06.11.2020 तथा खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2021.07.30 11:10:05 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

रिपोर्ट संख्या PH Lab/Banswara/Act/2020/204 दिनांक 01-11-2020 के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया **ब्राउन ब्रेड (shree Bakery and cafe)** CONTRAVENTION OF REGULATION 2.2.2(2),(3)(4),(8) Of food Safety and Standards (Packaging & Labelling) Regulation 2011 पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(Zf)(A)(i)(a) के तहत मिसब्राण्डेड होना पाया गया है। प्रकरण में अभियुक्तगणो द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतीत नही होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः **ब्राउन ब्रेड (shree Bakery and cafe)** CONTRAVENTION OF REGULATION 2.2.2(2),(3)(4),(8) Of food Safety and Standards (Packaging & Labelling) Regulation 2011 पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(Zf)(A)(i)(a) के तहत मिसब्राण्डेड होना पाया गया है। जिस पर अभियुक्तगणो को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व 52 के तहत आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर **श्री अंकुर भार्गव पुत्र श्री नवीन कुमार भार्गव विक्रेता मैसर्स श्री बेकरी एण्ड कैफे, ए-1 रिलक्स इन हॉटल के नीचे, उदयपुर रोड, बॉसवाडा** को **5000/-, श्रीमती स्नेह भार्गव पत्नि श्री अंकुर भार्गव मालिक मैसर्स श्री बेकरी एण्ड कैफे, ए-1 रिलक्स इन हॉटल के नीचे, उदयपुर रोड, बॉसवाडा (राज) को 5000/-** के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800-अन्य प्राप्तियां, (03)-खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा-पत्र शुल्क आदि में जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 28.07.2021 खुले न्यायालय सुनाया गया।

(नरेश बुनकर)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अतिरिक्त जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2021.07.30 11:10:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner